रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102021-230145 CG-DL-E-04102021-230145

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 572] No. 572] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 4, 2021/आश्विन 12, 1943 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 4, 2021/ASVINA 12, 1943

### सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2021

सा.का.नि. 714(अ).— केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित केन्द्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 191 (अ), तारीख 15 मार्च, 2021 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, ऐसी तिथि से जिसकों उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, तीस दिवस की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 15 मार्च, 2021 को उपलब्ध करवाई गई थीं;

उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है;

अत:, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटरयान (23वां संशोधन) नियम 2021 है।

5606 GI/2021 (1)

- (2) ये 1 अप्रैल, 2022 से प्रवृत्त होंगे।
- 2. केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 47 के उपनियम (1) में, खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
  - "(ढ़) निक्षेप प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो;

स्पष्टीकरण.- इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, "निक्षेप प्रमाणपत्र" का वही अर्थ होगा जो उसका मोटर यान (यान स्क्रैपिंग की सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कृत्य) नियम, 2021 के नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (ग) में है।"।

- 3. उक्त नियमों के नियम 81 में,--
- (i) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि यदि यान 'निक्षेप प्रमाणपत्र' के प्रस्तुतीकरण पर रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए फीस नहीं वसूली जाएगी।";

(ii) सारणी में,--

(क) क्रम संख्यांक (4) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :--

क्र.सं.	प्रयोजन	रकम	नियम	धारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"4.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करना और नया रजिस्ट्रीकरण चिह्न		47(1)	
	सौंपना या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण करना -		52(1)	
			54(1)	
	(क) अशक्त यात्री गाड़ी	पचास रुपये	76(1)	
	(ख)मोटर साइकल:		78(1)	
	(1) नया रजिस्ट्रीकरण	(1) तीन सौ रुपये		
	(2)रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण	(2) एक हजार रुपये		
	(ग)तीन पहिया/क्वाड्रीसाइकल:			
	(1) नया रजिस्ट्रीकरण	(1) छह सौ रुपये		
	(2) रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण	(2) दो हजार पांच सौ रुपये		
	(ঘ) हल्के मोटर यान:			
	(1) नया रजिस्ट्रीकरण	(।) छह सौ रुपये		
	(2) रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण	(2) पांच हजार रुपये		
	(ड.) मध्यम माल यात्री यान/-	एक हजार रुपये		
	(च) भारी माल यात्री यान/-	एक हजार पांच सौ रुपये		
	(छ)आयातित मोटर यान (दो या तीन पहियों वाले) -		$\dashv$	
	(1) नया रजिस्ट्रीकरण			
		(1) दो हजार पांच सौ रुपये		
	(2) रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण	(2) दस हजार रुपये		
	(ज) आयातित मोटर यान (चार या अधिक पहियों वाले)			
	(1) नया रजिस्ट्रीकरण			
	(2) रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण	(1) पांच हजार रुपये		
		(2) चालीस हजार रुपये		

(झ) कोई अन्य वाहन, जो ऊपर उल्लेखित नहीं		
(1) नया रजिस्ट्रीकरण	(1) तीन  हजार रुपये	
(2) रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण	(2) छह हजार रुपये	
टिप्पण1: यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र एक स्मार्ट कार्ड टाइप है, जो प्रप	ात्र	
23क में जारी किया गया या नवीनीकृत है, तो दो सौ रुपये का अतिरि	₩	
शुल्क उद्गृहित किया जाएगा।		
टिप्पण 2: रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन क	्रो ने	
में देरी के मामले में, मोटर साइकिल के संबंध में या उसके हिस्से में देरी	1 1	
लिए प्रत्येक माह तीन सौ रुपये और परिवहन वाहनों की अन्य श्रेणी		
उसके हिस्से के मामले में देरी के लिए प्रत्येक महीने पांच सौ रु अतिरिक्त शुल्क उद्गृहित किया जाएगा।";	4	

## ख) क्रम संख्या (10) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

"10क.	15 वर्ष से अधिक पुराने मोटर वाहनों के लिए उपयुक्तता प्रमाणपत्र प्रदान करने और नवीनीकरण के लिए किसी वाहन का परीक्षण करना।		62(2)	
	(क) मोटर साइकल	(i) हस्तचालित : चार सौ रुपये (ii) स्वचालित : पांच सौ रुपये		
		(11) (4) 411(11) (11) (11)		
	(ख) तीन पहियों वाले या हल्के मोटर यान या क्वाड्रीसाइकल	(i) हस्तचालित : आठ सौ रुपये		
		(ii) स्वचालित: एक हजार  रुपये		
	(ग) मध्यम माल / यात्री मोटर यान	(i) हस्तचालित: आठ सौ रुपये (ii)स्वचालित: एक हजार तीन सौ रुपये		
		(i) हस्तचालित: एक हजार रुपये (ii) स्वचालित: एक हजार पांच सौ		
		रुपये।";		

# (ग) क्रम संख्या (11) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"11क.	15 वर्ष से अधिक पुराने मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए उपयुक्तता प्रमाणपत्र प्रदान करना या नवीनीकरण		62(2)	
	(क) मोटर साइकल	एक हजार रुपये		
	(ख) तीन पहियों वाले या क्वाड्रीसाइकल	तीन हजार पांच सौ रुपये		
	(ग) हल्के मोटर यान	सात हजार पांच सौ रुपये		
	(घ) मध्यम माल या यात्री मोटर यान	दस हजार रुपये		
	(ड.) भारी माल या यात्री मोटर यान	बारह हजार पांच सौ रुपये		
टिप्पण :उप	युक्तता प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने के बाद देरी के प्रत्येक दिन के	लेए पचास रुपये का अतिरिक्त फीस वस	ली जाएगी।''।	

[सं. आरटी-23013/2/2021-टी]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590 (अ), 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि 676 (अ), तिथि 29 सितंबर, 2021 द्वारा किया गया था।

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2021

G.S.R. 714(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 191 (E), dated the 15th March, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 15th March, 2021;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

#### **RULES**

- 1. **Short title and commencement**. –(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Twenty Third Amendment) Rules, 2021.
- (2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2022.
- 2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 47, in sub-rule (1), after clause (m), the following clause shall be inserted, namely: -
- "(n) Certificate of Deposit, if available;

Explanation.- For the purposes of these rules, the expression "Certificate of Deposit" shall have the same meaning as assigned to it in clause (c) of sub-rule (1) of rule 3 of the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021.".

- 3. In the said rules, in rule 81, -
- (i) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -
- "Provided further that, in case the vehicle is registered on submission of 'Certificate of Deposit', the fee for issue of certificate of registration shall not be levied.";
- (ii) in the TABLE,-
- (a) For serial number (4) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

Sr. No.	Purpose	Amount	Rule	Section
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"4.	Issue of certificates of registration and assignment of new registration mark or renewal of certificate of registration:-		47(1) 52(1) 54(1) 76(1)	
	(a)Invalid carriage	Fifty rupees	78(1)	
	(b)Motor cycle: (1) New registration (2)Renewal of registration (c)Three wheeler/Quadricycle: (1) New registration (2) Renewal of registration	(1) Three hundred rupees (2)One thousand rupees (1) Six hundred rupees (2) Two thousand five hundred rupees	-	
	(d) Light motor vehicle: (1) New registration (2)Renewal of registration	(1) Six hundred rupees (2) Five thousand rupees		

(e)Medium Goods/ Passenger vehicle.	One thousand rupees	
(f)Heavy Goods/ Passenger vehicle.	One thousand five hundred rupees	
(g)Imported motor vehicle (Two or Three wheeled):		
(1) New registration	(1) Two thousand five hundred rupees	
(2) Renewal of registration	(2) Ten thousand rupees	
(h)Imported motor vehicle (Four or more wheeled):		
(1) New registration (2)Renewal of registration	(1) Five thousand rupees (2)Forty thousand rupees	
(i)Any other vehicle not mentioned above:		
<ul><li>(1) New registration</li><li>(2) Renewal of registration</li></ul>	(1)Three thousand rupees (2) Six thousand rupees	
Note 1: Additional fee of two hundred rupees shall be levied if the certificate of registration is a smart card type issued or renewed in Form 23A.		
Note 2: In case of delay in applying for renewal of certificate of registration, an additional fee of three hundred rupees for delay of every month or part thereof in respect of motor cycles and		
five hundred rupees for delay of every month or part thereof in respect of other classes of non-transport vehicles shall be levied.";		

(b) after serial number (10) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

"10A.	Conducting test of a vehicle for grant and renewal of certificate of fitness for motor vehicles older than 15 years:		62(2)	
	(a) Motorcycle	(i) Manual: Four hundred rupees (ii)Automated: Five hundred rupees		
	(b) Three wheeled or light motor vehicle or quadricycle	(i) Manual: Eight hundred rupees (ii) Automated: One thousand rupees		
	(c)Medium goods or passenger motor vehicle	(i) Manual: Eight hundred rupees (ii)Automated: One thousand three hundred rupees		
	(d) Heavy goods or passenger motor vehicle	(i) Manual: One thousand rupees (ii) Automated: One thousand five hundred rupees.";		

(c) after serial number (11) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

"11A.	Grant or renewal of certificate of fitness for motor vehicles (transport) older than 15 years:		62(2)	
	(a) Motorcycle	One thousand rupees		

(b)Three wheeled or quadricycle	Three thousand five hundred rupees
(c) light motor vehicle	Seven thousand five hundred rupees
(d)Medium goods or passenger motor vehicle	Ten Thousand rupees
(e) Heavy goods or passenger motor vehicle	Twelve thousand five hundred rupees
<b>Note:</b> Additional fee of fifty rupees for each day of o	delay after expiry of certificate of fitness shall be levied.".

[No. RT-23013/2/2021-T]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2<sup>nd</sup> June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 676(E), dated the 29<sup>th</sup> September, 2021.